[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per. (AR) F (7)-2/98-Vol.I dated 8-1-2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
ADMINISTRATIVE REFORMS ORGANISATION

NOTIFICATION

No. Per (AR) F (7)-2/98-Vo.I Dated Shimla-2 the 8th January, 2007.

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006, namely: -

Short title and commencement	1. (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Right to Information (2nd Amendment) Rules, 2007. (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
Amendment of rule 3.	2. In rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2), after the word "Challan" the words "or Indian Postal Order" shall be inserted.
Amendment of rule 6.	3. In rule 6 of the said rules, in sub-rule (3), in clause (ii), after the word "Challan", the words "or Indian Postal Order" shall be inserted.
Amendment of Form-'A'.	4. In Form 'A' appended to the said rules, (a) in clause (f), after the word "Challan" the words "or Indian Postal Order" shall be added; and (b) in the acknowledgement below Form 'A', after the word "Challan", the sign and words "/Indian Postal Order" shall be added.
Amendment of Form-'B'	5. In Form 'B' appended to the said rules, in para 2, after the word "Challan", the words " or Indian Postal Order" shall be added.
Amendment of Form-'D'	6. In Form 'D' appended to the said rules, in clause (f), the following shall be substituted, namely: - "(f) Particulars of Demand Draft or Challan or Indian Postal Order No., amount and date".

Amendment of Appendix-I

7. In Appendix-I to the said rules, in Part-I, for column 7, the following shall be substituted, namely: -
"Demand Draft or Challan or Indian Postal Order No., amount and date".

Amendment of Appendix-II

8. In Appendix-II to the said rules, for column 9, the following shall be substituted, namely: -
"Particulars of Demand Draft or Challan or Indian Postal Order deposited in the Treasury by PIO/APIO".

By Order

S.Vijay Kumar
Principal Secretary (AR) to the
Government of Himachal Pradesh.

N.Per(AR)F(7)-2/98-Vol.I Dated Shimla-2, the 8th January, 2007

Copy forwarded to:-

1. The Secretary to Governor, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
2. The Senior Private Secretary to the Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
4. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
5. All the Heads of departments in Himachal Pradesh.
6. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
7. All the Divisional Commissioners in Himachal Pradesh.
8. The Controller, Printing and Stationary, Himachal Pradesh, Shimla-171005 for publication in the Official Gazette (Extraordinary). He is requested to send 200 printed copies of the same to this Department immediately.
9. The Secretary(GAD) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.

Under Secretary(AR) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रशासनिक सुधार संगठन

संख्या: पी.ई.आर.(ए.आर.)एफ.(7).2/98–वॉल-I तारीख:शिमला–2, जनवरी 8, 2007

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार (द्वितीय संशोधन)नियम, 2007 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे

नियम 3 का संशोधन।

2 हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त नियम" कहा गया है), के नियम 3 के उप–नियम (2) में शब्द "चालान" के पश्चात "या भारतीय पोस्टल ऑर्डर" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

नियम 6 का संशोधन।

3 उक्त नियमों के नियम 6 के उप नियम (3) के खण्ड (ii) में शब्द "चालान" के पश्चात "या भारतीय पोस्टल ऑर्डर" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

प्ररूप "अ" का संशोधन

4 उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप "अ" में
(क) खण्ड (च) में शब्द चालान के पश्चात या भारतीय पोस्टल आर्डर शब्द जोडे जाएंगे; और
(ख) प्ररूप 'अ' के नीचे अभिस्वीकृति में शब्द "चालान" के पश्चात "/भारतीय पोस्टल ऑर्डर" चिह्न और शब्द जोडे जाएंगे।

प्ररूप "आ" का संशोधन।

5 उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप "आ" के पैरा 2 में, शब्द "चालान" के पश्चात "या भारतीय पोस्टल ऑर्डर" शब्द जोडे जाएंगे।

प्ररूप "ई" का संशोधन

6 उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 'ई' के खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:
"(च) मांगदेय ड्राफ्ट या चालान या भारतीय पोस्टल ऑर्डर की संख्या, रकम और तारीख की विशिष्टियां।"

परिशिष्ट–I का संशोधन

7 उक्त नियमों के परिशिष्ट–I के भाग–1 में स्तम्भ 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:–
"मांगदेय ड्राफ्ट या चालान या भारतीय पोस्टल ऑर्डर की संख्या, रकम और तारीख।"

परिशिष्ट–II का संशोधन	8	उक्त नियमों के परिशिष्ट II में स्तम्भ 9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:– "जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी द्वारा खजाने में जमा किए गए मांगदेय ड्राफ्ट या चालान या भारतीय पोस्टल ऑर्डर की विशिष्टियां।"

आदेश द्वारा,

एस. विजय कुमार,
प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या:पी.ई.आर.(ए.आर.)एफ(7).2/98-वॉल-I तारीख:शिमला-2,जनवरी 8,2007
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. सचिव, राज्यपाल हि.प्र. शिमला 2
2. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश शिमला–2
3. प्रधान सचिव मुख्य मन्त्री, हि.प्र. शिमला–2
4. समस्त प्रशासनिक सचिव, हि.प्र. सरकार, शिमला 2
5. समस्त विभागाध्यक्ष, हि.प्र.।
6. समस्त मण्डलायुक्त हि.प्र.।
7. समस्त उपायुक्त, हि. प्र.।
8. नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन समग्री विभाग, हि. प्र. शिमला–5 से अनुरोध है कि वह कृपया इस अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें तथा उक्त प्रकाशित अधिसूचना की 200 मुद्रित प्रतियां इस विभाग को भेजने की कृपा करें।
9. सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हि. प्र. सरकार शिमला–2
10. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हि. प्र. सरकार।
11. वरिष्ठ विधि अधिकारी राजभाषा खण्ड विधि विभाग हि. प्र. सचिवालय, शिमला 2

अवर सचिव,
(प्रशासनिक सुधार संगठन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।